

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुकाम मण्डावर(दौसा)

तहसीलदार बैजूपाडा बनाम कैला

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 323 / 2025

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30.09.2025</p>	<p>यह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का बावडीखेडा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का बावडीखेडा के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम बावडीखेडा पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073-76 में खाता संख्या 7 के खातेदार कैला पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गढमेडया खातेदार एवं कैला पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गढमेडया खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई दर्ज रिकार्ड है। उक्त दर्ज रिकार्ड खातेदार की जांच की गई। जांच में खातेदार कैला पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गढमेडया खातेदार एवं कैला पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गढमेडया खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई की दोहरी प्रविष्टी पायी गई। उक्त दोहरी प्रविष्टी को कैला पत्नि कैलाशचन्द जाति मीना सा. गढमेडया खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई कर एक किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कथन कैला पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गढमेडया खातेदार एवं कैला पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गढमेडया खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई एवं संलग्न जमाबंदी संवत् 2073-76 में दर्ज कथन कैला पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. गढमेडया खातेदार एवं कैला पत्नि कैलाशचन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. उग्गावाली खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बांदीकुई एक समान न होकर अलग-अलग है। इसलिए प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 30.09.2025 को सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (अमित कुमार वर्मा) R.A.S उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी मण्डावर दौसा मण्डावर (दौसा) </p>	